



# पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ पहले सोलर पम्प पाओ



## प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम)

योजना के अंतर्गत  
किसानों को अनुदान पर सोलर पम्प पाने का  
**स्वर्णिम अवसर**



सोलर पम्प का प्रकार एवं क्षमता	सोलर पम्प का निर्धारित मूल्य	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान	कुल अनुदान	कृषक अंश
2 एच.पी.डी.सी. सर्फेस	123605	37082	37081	74163	49442
2 एच.पी.ए.सी. सर्फेस	123603	37081	38081	74162	49441
3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबुल	169370	50811	50811	101622	67748
3 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबुल	165558	49668	49667	99335	66223
5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबुल	236912	71704	71074	142148	94764

### योजना की पात्रता/शर्तें

- योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट [www.upagriparadarshi.gov.in](http://www.upagriparadarshi.gov.in) पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- जनपद में लक्ष्य की सीमा तक ही कृषकों का चयन किया जायेगा।
- 'पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पाओ' के सिद्धान्त के आधार पर कृषकों का चयन किया जायेगा।
- पंजीकृत कृषकों द्वारा जनपद की लक्ष्य पूर्ति तक बैंक ड्राफ्ट उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं।
- कृषक से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होते ही उप कृषि निदेशक इसे पोर्टल पर अपलोड कर, एक सप्ताह के अन्दर कृषक की पात्रता का सत्यापन करते हुए, संबंधित फर्मों को सूची सहित ड्राफ्ट का विवरण पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।

**कृषक भाई/बहन बैंक ड्राफ्ट जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें।**

**बैंक ड्राफ्ट एवं योजना की विस्तृत जानकारी के लिये अपने जिले के उप कृषि निदेशक से सम्पर्क करें।**

**सूर्यप्रताप शाही**

मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश

**लाखन सिंह राजपूत**

राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश

फसल अवशेष न जलाएं



वृक्षारोपण करें-पर्यावरण बचायें



इन-सी-टू यंत्रों से प्रबन्धन करें।

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश